मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

(म0 प्र0 विधानसभा अधिनियम 1991 के अंतर्गत स्थापित)
राजा भोजमार्ग चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल
दूरभाष – 0755–2492093, 2424660 www.bhojvirtualuniversity.com

सीमित निविदा आमंत्रण सूचना

क्र0 : 84/भंडार/मप्रभोमुविवि/2019 दिनांक : 30/05/2019

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा आवश्यकतानुसार स्थानीय एवं आउटडोर परिवहन हेतु पंजीकृत फर्मो से किराये पर वाहन लेने हेतु मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार विवि की वेबसाईट www.bhojvirtualuniversity.com से निविदाफार्म डाउनलोड कर सकते है। इसी प्रकार निविदा में होने वाले समस्त संशोधनों आदि का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही किया जावेगा तथा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नही किया जावेगा। निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 07/06/2019 समय अपरान्ह 05:00 बजे है। प्राप्त निविदायें दिनांक 10/06/2019 अपरान्ह 03:00 बजे खोली जावेगी। **कुलसचिव**

म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

राजा भोज मार्ग (कोलार रोड), भोपाल

क्रमांकः 84/भण्डार/2019 **भोपाल, दिनांक : 30/05/2019**

वाहन सेवाओं के लिए सीमित निविदा वर्ष 2019

म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के कार्यालयीन कार्य के उपयोग में आने वाले वाहनों की सेवाओं के लिए **टवल्स ऐजेंसियों/ फर्मो** से सीमित निविदा वर्ष – 2019 आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, शर्ते एवं अन्य जानकारी हेतु विवि की वेबसाईट https://www.bhojvirtualuniversity.com पर लॉग–आन करें।

निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाईट www.bhojvirtualuniversity.com पर दी जाएगी। निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार हैः–

स0क्र0	विवरण	दिनांक	समय
01	निविदा फार्म डाउनलोड/प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि	31/05/2019	11:00 बजे से
02	निविदा फार्म जमा की प्रारंभ तिथि	01/06/2019	11:00 बजे से
03	निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	07/06/2019	05:00 बजे तक
04	निविदा खोलने की तिथि	10/06/2019	15:00 बजे

भाग – 1
निविदा आवेदन एवं अन्य जानकारी

1.1 सभी निविदाकारों से अनुरोध है कि वे निविदा प्रपत्र भरने/ प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा से संबंधित समस्त अर्हतायें, अन्य शर्ते एवं कार्य से संबंधित प्रक्रिया के बारे में दिये गये विवरणों को सावधानी पूर्वक पढ़ ले। निविदा के संबंध में किसी स्पष्टीकरण एवं शंका समाधान के लिए कार्यालयीन समय में विश्वविद्यालय के कुलसचिव से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

1.2 **कार्य का परिचय** :– म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का मुख्यालय परिसर राजा भोज मार्ग (कोलार रोड), भोपाल पर स्थित है। परिसर में प्रशासनिक भवन, ईएमपीआरसी, कुलपति निवास, कुलसचिव निवास, अतिथि गृह, अधिकारी एवं कर्मचारी निवास आदि है। विवि का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है। विवि के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद एवं बड़वानी में है एवं इन क्षेत्रीय केंद्रों के अंतर्गत् दूरस्थ अंचलों में अध्ययन केंद्र है। अतः विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन में वाहन सेवा के लिए सीमित निविदा आमंत्रित की जा रही हैं।

1.3 यह निविदा म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के कार्यालय के उपयोग के लिए स्थानीय एवं मुख्यालय से बाहर प्रति किलोमीटर की दरों पर ए0सी0/ नॉन ए0सी0 वाहन (पैसेंजर एवं मालवाहक) उपलब्ध कराने के लिए ट्रेवल्स एजेंसियों से आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक निविदाकर्ता पैसेंजर अथवा मालवाहक या दोनो प्रकार के वाहनों की दरें प्रस्तुत कर सकता है।

1.4 निविदा प्रकियाः– निविदाकर्ता फर्म तकनीकी निविदा/शर्तो का एक सीलबंद लिफाफा नं0–1 तथा वित्तीय निविदा का एक सीलबंद लिफाफा नं0–2 तैयार करेगी । दोनो लिफाफों को एक बडे लिफाफे में सीलबंद कर लिफाफे में बंद कर शीर्षक **"वाहन सेवाओं के लिए सीमित निविदा वर्ष 2019"** दर्ज करना है।

1.41 **प्रक्रिया–1**: प्रथमतः फर्मों की तकनीकी निविदा लिफाफा खोला जावेगा।

1.42 **प्रक्रिया–2** : प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

भाग – 2
तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्तें

2.1 ऐजेंसी/ फर्म द्वारा कम से कम तीन वित्तीय वर्षो में किसी संस्थाओं में वाहन चलाने का अनुभव हो। एक वर्ष में एक से अधिक संस्थाओं के कार्य आदेश की कुल संख्या मान्य होगी। संबंधित संस्था का कार्य आदेश/ प्रमाणपत्र की छायाप्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें।

2.2 निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं है, इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो रू0 100/– (एक सौ रुपये) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें। शपथपत्र का प्रारूप संलग्न है।

2.3 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मुद्रा (सील) लगाकर हस्ताक्षर करें। **किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मुद्रा (सील) एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे मान्य नही किया जावेगा** ।

2.4 निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजो की स्केन प्रति जिस पर फर्म के सील सहित हस्ताक्षर होने चाहिए, निविदा के साथ संलग्न करें :–
(क) जीएसटी (GST) पंजीयन की छाया प्रति संलग्न करें।
(ख) पेनकार्ड (PAN) की छाया प्रति संलग्न करें।
(ग) संस्था/फर्म/कम्पनी का इस कार्य का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
(घ) आरटीओ का लायसेंस/रजिस्ट्रेशन/अनुमति पत्र (यदि आवश्यक हो तो)

2.5 इन्कम टैक्स के कम से कम तीन ऐसेसमेंट वर्ष का इन्कम टैक्स प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें ।

2.6 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।

2.7 सभी वाहन टैक्सी कोटे से पंजीकृत होना अनिवार्य है। वाहनों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की पुलिस अथवा अन्य प्रकरण की जॉच नही होनी चाहिए।

2.8 वित्तीय निविदा में प्रदान की गई दरें विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केंद्रों पर (आवश्यकतानुसार) लागू होगी।

2.9 उपरोक्त जानकारी एवं प्रपत्र – 1 विधिवत भरकर **तकनीकी निविदा लिफाफा कमांक 1** में रखे ।

तकनीकी निविदा लिफाफा कमांक –1 में निम्नानुसार दस्तावेजों फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित संलग्न किया जाना है।

स0 क0	विवरण
01	ऐजेंसी/ फर्म द्वारा कम से कम तीन वित्तीय वर्षो में किसी संस्थाओं में वाहन चलाने का अनुभव, संबंधी संस्था को कार्य आदेश/ प्रमाणपत्र की छायाप्रति। एक वर्ष में एक से अधिक संस्थाओं के कार्य आदेश की कुल संख्या मान्य होगी।
02	किसी भी शास0/अर्द्धशास0 संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नही होने का मूल शपथपत्र, जो रू0 100/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। शपथपत्र का प्रारूप संलग्न है।
03	जीएसटी (GST) पंजीयन की छाया प्रति। (सील एवं हस्ता0 सहित)
04	पेनकार्ड (PAN) की छाया प्रति। (सील एवं हस्ता0 सहित)

05	इस कार्य का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति। (सील एवं हस्ता0 सहित)
06	आरटीओ का रजिस्ट्रेशन/अनुमति पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
07	कम से कम तीन ऐसेसमेंट वर्ष के इनकम टैक्स (आयकर) रिटर्न की छायाप्रति।
08	प्रपत्र – 1

भाग – 3
निविदा की अन्य शर्तें

3.1 सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति की लिखित सूचना विवि द्वारा दी जाएगी। ऐसी सूचना के एक सप्ताह के अंदर निविदाकार को **रू0 एक हजार के नान–ज्यूडीशियल स्टांप पेपर पर** एक अनुबंध करना होगा।

3.2 ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए देयकों के भुगतान पर नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं अन्य करों की कटौती की जावेगी।

3.3 वित्तीय निविदा में दरें कर रहित (Without Tax) प्रस्तुत की जाना है। GST अलग से देय होगा ।

3.4 वित्तीय निविदा के दो भाग है। एक भाग A– सवारी वाहन एवं दूसरा भाग B– मालवाहक वाहन
उपरोक्त दोनो भागों (A एवं B) की वित्तीय निविदा पृथक–पृथक मानी जावेगी। दोनो भागों का तुलनात्मक पत्रक (Comparative Chart) वाहन के प्रकार वार तैयार किया जावेगा। तुलनात्मक पत्रक के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्यादेश जारी किया जावेगा।

3.5 निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

3.6 वाहनों के परमिट रजिस्टेशन, बीमा, एवं रोड टेक्स, पी0यू0सी0 प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज का अद्यतन (Update) होना अनिवार्य है। इन मामलों में परिवहन नियमों का पालन करना फर्म की जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक वाहन का आरटीओ फिटनेस होना अनिवार्य है।

3.7 ट्रेवल्स ऐजेंसी के वाहन का बीमा इस प्रकार होना चाहिए, जिसमें वाहनों के बीमे के साथ वाहन में बैठने वाले सभी व्यक्तियों का बीमा भी शामिल हो।

3.8 प्रदाय किए जाने वाले वाहन का माइलोमीटर चालू स्थिति में होना अनिवार्य होगा।

3.9 ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म/ वाहन चालक को वि0वि0 के नियंत्रण में रहकर वि0वि0 द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।

3.10 वाहन चालक के पास वैद्य ड्राइविंग लायसेंस होना अनिवार्य होगा और इस मामले में किसी भी प्रकार की कमी/ त्रुटि की जवाबदारी ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म की होगी।

3.11 वाहन चालक को वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और उनका व्यवहार/ आचरण अच्छा होना चाहिए। वाहन चालक द्वारा दुर्व्यवहार करने पर वाहन ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म को **ब्लैक लिस्ट** किया जा सकेगा ।

3.12 वि0वि0 की सेवाओं के दौरान वाहनों की किसी प्रकार की दुर्घटना या चोरी होने पर उससे संबंधित सेवा आदि की समस्त जवाबदारी ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म की होगी। यात्रा के दौरान वाहन खराब होने पर दो घंटे के अंदर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। ऐसा न करने की स्थिति मे स्वयं के व्यय पर वाहन की व्यवस्था करने पर वाहन पर होने वाला समस्त व्यय ट्रेवल्स ऐजेंसी पर भारित होगा।

3.13 ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म को टेलिफोन पर या लिखित में वाहन की मॉग किसी भी समय किए जाने पर वाहन अधिकतम 2 घंटे में उपलब्ध कराना होगा।

3.14 यात्रा के दौरान विश्राम तथा भोजन आदि की व्यवस्था वाहन चालक/ ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

3.15 भोपाल मुख्यालय से बाहर जाने वाले वाहन के वापस आने तक की वास्तविक की गई यात्रा के किलोमीटर के आधार पर ही भुगतान देय होगा।

3.16 वाहन पर लगने वाले समस्त कर ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म द्वारा वहन किए जावेंगें।

3.17 सफल ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म द्वारा देयक दो प्रतियों में कुलसचिव, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा। इस देयक के साथ लॉगबुक/ ड्यूटी स्लिप एवं उपयोगकर्ता का स्पष्ट नाम, पदनाम तथा हस्ताक्षर सहित देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

3.18 वि0वि0 के कार्य के लिए वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, परमिट शुल्क आदि का भुगतान किया जाता है तो भुगतान की रसीद, मूलतः देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की पूर्ति की जावेगी।

3.19 वि0वि0 द्वारा अपने क्षेत्राधिकार/क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त कही भी, कभी भी वाहनों की मॉग की जा सकती है। ट्रेवल्स ऐजेंसी/फर्म को उस स्थान में स्वीकृत दर पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।

3.20 निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर समिति स्वविवेक से पैरामीटर/प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

3.21 वाहन चालक के पास मोबाइल होना अनिवार्य है। इसका व्यय ऐजेंसी द्वारा वहन किया जावेगा।

3.22 निविदा की शर्तो में किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी ।

3.23 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलपति, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

3.24 निविदा विषयक विवाद में Sole Arbitrator अंतिम निर्णय कुलपति, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

3.25 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

3.26 निविदाकारों को वित्तीय निविदा **प्रपत्र ए–2** में प्रस्तुत की जाना है ।

प्रपत्र ए–1
(निविदा प्रपत्र)

प्रति,
कुलसचिव,
म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

विषयः– वाहन सेवाओं की सीमित निविदा के लिए वर्ष 2019 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म की जानकारी निम्नानुसार हैः–

स0क्र0	विवरण	
01	फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	ट्रेवल्स ऐजेंसी/फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष नम्बर (मोबाईल एवं लेन्डलाईन)	
06	ई–मेल	

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग ''1'', ''2'', ''3'' में दर्शित शर्तों के अनुसार वाहन सेवाओं के लिए निविदा वर्ष–2019 का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित
रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर

मैं.. द्वारा प्रोपराईटर मेसर्स ....

निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि:–

(1) यह कि ट्रेवल्स एजेंसी/ फर्म को किसी भी संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हैं।

(2) यह कि ट्रेवल्स एजेंसी/ फर्म पर संबंधी कोई कानूनी विवाद न्यायालय में लम्बित नहीं हैं। सभी वाहन टैक्सी कोटे से पंजीकृत है एवं वाहनों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की पुलिस अथवा अन्य प्रकरण की जॉच नही होनी चाहिए।

(3) यह कि फर्म पर किसी शासकीय संस्था/उपक्रम की देनदारी शेष नहीं हैं।

(4) यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने का अधिकार म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।

शपथग्रहिता

<u>सत्यापन</u>

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु (1) से (4) में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथग्रहिता

प्रपत्र ए–2
(वित्तीय निविदा)

भाग A– सवारी वाहन

स0 क्र0	वाहन का प्रकार	स्थानीय / बाहर 4 घंटे 50 कि0 मी0	स्थानीय / बाहर 4 घंटे 50 कि0 मी0 के अतिरिक्त प्रति कि0मी0	स्थानीय / बाहर 8 घंटे 80 कि0 मी0	स्थानीय / बाहर 8 घंटे 80 कि0 मी0 के अतिरिक्त प्रति कि0मी0
1	2	3	4	5	6
01	बोलरों नॉन ए0सी0 या समकक्ष				
02	इंडिगो / स्वीफ्ट डिज़ायर नॉन ए0सी0 या समकक्ष				
03	इंडिगो / स्वीफ्ट डिज़ायर ए0सी0 या समकक्ष				
04	टवेरा नॉन ए0सी0 या समकक्ष				
05	टवेरा ए0सी0 या समकक्ष				
06	इनोवा नॉन ए0सी0 या समकक्ष				
07	इनोवा ए0सी0 या समकक्ष				

मुख्यालय के बाहर प्रति कि0मी0 (कालम 3 से 6 के अतिरिक्त)	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 01 से 1000 किमी तक	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 01 से 1000 किमी से अधिक पर प्रति कि0मी0	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 01 से 1800 किमी तक	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 01 से 1800 किमी से अधिक पर प्रति कि0मी0	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 01 से 2200 किमी तक	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 2200 किमी से अधिक	नाईट हाल्ट की दर
7	8	9	10	11	12	13	14

भाग B– मालवाहक वाहन

स0 क्र0	वाहन का प्रकार	प्रति किमी दर	नाइट हाल्ट की दर
1	2	3	4
01	बोलरों पिकप या समकक्ष (हुड सहित)		
02	टाटा 407 या समकक्ष (हुड सहित)		
03	मिनी ट्रक या समकक्ष (हुड सहित)		
04	ट्रक या समकक्ष (हुड सहित)		